F—22/1/2013—14/ई.एफ.सी./लघु/31

विषयः— वर्ष 2013—14 के जल संसाधन विभाग की वित्तीय व्यय एवं तकनीकी सलाहकार समिति की संयुक्त प्रथम बैठक दिनांक 17—05—2013 का कार्यवाही विवरण ।

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग की वित्तीय व्यय एवं तकनीकी सलाहकार समिति की संयुक्त प्रथम बैठक दिनांक 17—05—2013 को दोपहर 03:45 बजे कक्ष क्रमांक—212 में सम्पन्न हुई । उक्त बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :—

स.क्र.	नाम	पद	विभाग
1	श्री राधेश्याम जुलानिया	प्रमुख सचिव	जल संसाधन विभाग
2	श्री एम.जी. चौबे	प्रमुख अभियन्ता	जल संसाधन विभाग
3	श्री सतीश कुमार काम्बोज	निदेशक	केन्द्रीय जल आयोग
4	श्री चन्द्र प्रकाश अग्रवाल	सलाहकार	राज्य योजना आयोग
5	श्री अश्वनी कुमार उपमन्यु	अवर सचिव	जल संसाधन विभाग
6	श्री व्ही.के. श्रीवास्तव	वि.क.अ..	जल संसाधन विभाग
7	श्री एस.बी. खरे	कार्यपालन यंत्री (रू.)	जल संसाधन विभाग

2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तुत 01 नवीन एवं 04 पुनरीक्षित स्वीकृति के लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावों पर समिति ने प्रत्येक परियोजना के डूब क्षेत्र, प्रस्तावित सिंचाई लाभ, लागत, जल की उपलब्धता तथा वन भूमि व्यपवर्तन आदि अवयवों पर प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण किया गया।

स्वीकृत प्रकरण :—

3. समिति ने निम्न शर्तो के साथ नीचे तालिका में वर्णित 01 नवीन एवं 04 पुनरीक्षित स्वीकृति के लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति एवं निवेश निकासी की अनुशंसा की :—

3.1 नॉन ए.आई.बी.पी. परियोजनाएँ :-

S.no	Name of Project	Block	District	Proposed Rabi Irrigation (Ha.)	Cost					Difference of Cost which is not included in G-Schedule			Total
		ST / DPAP / Normal			Forest	Private	As Per G-Schedule	Establishment	DPR	Compaction	Sluice Gate	Others	
1	Gopalpur Tank	Majhgawan/ Normal	Satna	520	142.44	311.10	543.17	62.06	5.64	19.71	1.26	0.00	1085.38

3.2 शर्ते :–

3.2.1 संबंधित कार्यपालन यंत्री यह सुनिश्चित करें कि परियोजना में मिट्टी कार्य में काम्पेक्शन का कार्य विभाग की विद्युत/यांत्रिकी (केन्द्रीय यॉंत्रिकी इकाई) व्दारा किया जाए। इसे निविदा में नहीं जोड़ा जाए। निविदा में केवल मिट्टी एवं वाटरिंग का प्रावधान रखा जावे।

3.2.2 स्लूस गेट के आयटम निविदा के 'जी' शेड्यूल में नही जोडा जाए और केन्द्रीय यांत्रिकी इकाई से कराये जावें।

3.2.3 स्थापना, कंटेन्जेंसी, सर्वे/अनुसंधान, डी.पी.आर. एवं क्वालिटी कन्ट्रोंल टेस्टिंग आदि कार्यो के लिए पृथक से राज्य स्तर से धनराशि प्रदाय की जाने के परिप्रेक्ष्य में कार्यपालन यंत्री इन मदों पर परियोजना के तहत कोई व्यय नहीं करें।

3.2.4 चूँकि साधारण जंगल सफाई मशीनों के माध्यम् से सीधे बेंचिंग कर करा लिया जाता है । अतः इस कार्य के लिए प्राक्कलन तथा जी शिड्यूल में प्रावधान नहीं रखा जाए ।

3.2.5 जिन परियोजनाओं के संबंध में पुरानी प्रशासकीय स्वीकृतियाँ हों उन्हे इस आदेश की तिथि से निरस्त मानी जाए ।

3.2.6 वनभूमि प्रभावित परियोजनाओं में वनभूमि के व्यपवर्तन एवं उपयोग के संबंध में सक्षम स्तर से प्रथम चरण (Stage One) की स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व कोई व्यय नही किया जावे ।

4. **पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृतिः–**

समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृत राशि से विभिन्न कारणों के मद्देनजर शासन के निर्धारित मापदण्डों 20% से अधिक लागत बढ़ने से निम्न अपूर्ण लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तावों पर पुनरीक्षित प्रशासकीय / निवेश निकासी स्वीकृति इस शर्त पर दिये जाने का निर्णय लिया गया कि बर्रो नहर परियोजना की नहरों के लिये कम से कम भू–अर्जन किया जायें।

4.1 नॉन ए.आई.बी.पी. (45/4702) परियोजनाएँ :–

S. No.	Name of Project	District	Designed Irrigation	(RAA Amount)
1	Imalidhana Tank	Harda	1990	2761.08
2	Manjla Tank	Sagar	500	1076.78
3	Barrow (Canal) Irrigation Scheme	Vidisha	1968	1740.06
4	Manirampura Tank	Sehore	700	1629.70

5. बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई ।

(अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

(टी.आर.कपूर)
अपर सचिव,
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृष्ठा. क्रं. F–22/1/2013–14/ई.एफ.सी./लघु/31(1212) दिनांक 13/06/2013

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, वित्त विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
5. कार्यपालन यंत्री, डाटा सेन्टर, जल संसाधन विभाग

अपर सचिव,
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

D:\(SFC,EFC,RAA)_17-05-2013\AJENDA (EFC)-17-05-2013.doc